न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गोरखपुर।

जमानत प्रार्थना पत्र सं०– 4399/2026,

उ०प्र०राज्य..........बनाम...... ... रामबदन साहनी।

CNR No.- UPGK040975552026

मु०अ०सं०–152/2026

धारा– 191(2), 103(1) बी.एन.एस.।

थाना–सिकरीगंज, जिला–गोरखपुर।

दिनाँक– 06.06.2026

1– अभियुक्त रामबदन साहनी की ओर से मु०अ०सं०– 152/2026, अन्तर्गत धारा– 191(2), 103(1) बी.एन.एस., थाना– सिकरीगंज, जिला–गोरखपुर में जमानत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा के तहत जिला कारागार में निरूद्ध है।

2– विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

3– जमानत प्रार्थना–पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

4– अभियोजन कथानक के अनुसार–अभियुक्त पर अन्य सहअभियुक्तगण के साथ एक राय गोलबन्द होकर बल्वा कारित करते हुए वादिनी मुकदमा के पुत्र की हत्या करने का अभियोग है। विवेचना प्रचलित है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध अजमानतीय एवं अत्यन्त गम्भीर प्रकृति का है तथा माननीय सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये उपरोक्त मामले में अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

5– **आदेश**

अभियुक्त रामबदन साहनी की ओर से मु०अ०सं०– 152/2026, अन्तर्गत धारा– 191(2), 103(1) बी.एन.एस., थाना– सिकरीगंज, जिला–गोरखपुर में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

(त्विषि श्रीवास्तव)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

गोरखपुर।

J.O.Code–UP2065